

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-


क्र. स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	फरजाना सैफी, डेहरा, साँभर झील, जयपुर	जीव विज्ञान	08.05.1958	31.05.2018
2	तुसती शर्मा, सिकरोरी, वार्ड न 07 कुम्होर, भरतपुर	जीव विज्ञान	03.06.1958	30.06.2018
3	आशा गांधी रामगंजमण्डी, खेराबाद, कोटा	जीव विज्ञान	25.06.1958	30.06.2018
4	बसन्त रानी धाबाई, सिलोर, बून्दी	जीव विज्ञान	01.07.1958	30.06.2018
5	ब्रह्मपाल सिंह चौहान, धानौता, शाहपुरा, जयपुर	जीव विज्ञान	05.07.1958	31.07.2018
6	रामदयाल, रूपवास, भरतपुर	जीव विज्ञान	05.07.1958	31.07.2018
7	मंशो राम शर्मा, वार्ड न 37, सेवर, भरतपुर	जीव विज्ञान	21.07.1958	31.07.2018
8	माया अग्रवाल, टोकर, सेमारी, उदयपुर	जीव विज्ञान	27.07.1958	31.07.2018
9	शारदा दशोरा, वार्ड न 11, चित्तौडगढ़	जीव विज्ञान	18.08.1958	31.08.2018
10	नजमुद्दीन अनसारी, पांचला, उनियारा, टोंक	जीव विज्ञान	28.08.1958	31.08.2018
11	जयनारायण शर्मा, मोतीकटला, जयपुर	जीव विज्ञान	02.09.1958	30.09.2018
12	अनीता बेनीवाल बालिका महारानी स्कूल बीकानेर	जीव विज्ञान	06.09.1958	30.09.2018
13	पवन भार्गव, छापराडी, आमेर, जयपुर	जीव विज्ञान	20.10.1958	31.10.2018
14	परमेश्वर दयाल शर्मा, गडावत ऋषभदेव, उदयपुर	जीव विज्ञान	01.11.1958	31.10.2018
15	पुष्पा बीका, बालिका महारानी, बीकानेर	जीव विज्ञान	05.11.1958	30.11.2018



16	हरजिन्दर सिंह मुकलावा, रायसिंहनगर, श्री गंगानगर	जीव विज्ञान	27.12.1958	31.12.2018
17	देवी सिंह ढाका उच्चैन,रूपवास,भरतपुर	जीव विज्ञान	01.01.1959	31.12.2018
18	पकंज शर्मा, वल्लभनगर, भिण्डर, उदयपुर	जीव विज्ञान	10.01.1959	31.01.2019
19	ओमप्रकाश मेहता, छीपाबडौद, बांरा	जीव विज्ञान	12.01.1959	31.01.2019
20	भीखम चन्द मालवीय, अबूरोड, सिरोही	जीव विज्ञान	05.03.1959	31.03.2019
21	विरेन्द्र सिंह यादव, दिवदा छोटा, गलीया कोट डुंगरपुर	जीव विज्ञान	09.10.1959	31.10.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/17-18/ दिनांक:- 29/07/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक,पेंशन विभाग राजस्थान
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,
5. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
6. संबंधित प्राध्यापक
7. सिस्टम एनालिसिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर